न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी।

मूलवाद सं०–619/2022

पंजीयन स०–647/2022

शरीफ बनाम हसन मेंहदी

03.05.2023

वाद पुकारा गया। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित। बार–बार पुकार पर भी न तो वादी उपस्थित है और न ही वादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली वास्ते सुनवाई हेतु नियत है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित हैं। वादी को न्यायहित में अंतिम अवसर भी प्रदान किये गये। बावजूद इसके वादी न्यायालय में गैर हाजिर रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी वाद चलाने का इच्छुक नहीं है। अतः उपरोक्त मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (जू०डि०)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्भल स्थित चन्दौसी।